न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नावलोकन - 0108/2019/टीकमगढ़/भू.रा.

पुर्नाविलोकन प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–टीकमगढ़

1 श्यामसुन्दर पुत्र श्री लीलाधर साहू
2 हरदयाल पुत्र श्री लीलाधर साहू
3 रामसहाय पुत्र श्री लीलाधर साहू
निवासीगण– ग्राम देरी तहसील खरगापुर जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

..... अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी/3033/2018/टीकमगढ/भू.रा. में पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नाविलोकन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, आवेदकगण को खसरा नं. 1485, 1486 जूज 1495 कुल रकवा 0.270 है0 का व्यवस्थापन मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदाय किया जाना विशेष उपलब्ध अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रदाय की गयी थी।

2 यहकि, प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का वर्ष 1984 पूर्व से कब्जा कास्त करके चला आ रहा था। और इसी के आधार पर आवेदकगण को भूमि का व्यवस्थापन नायब तहसीलदार खरगापुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 342/अ–19(4) 1995–96 में पारित आदेश दिनांक 16.07.1996 द्वारा किया गया था।

3 यहकि, विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार खरगापुर के आदेश के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति अथवा म.प्र. शासन द्वारा कोई अपील अथवा पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार खरगापुर का आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया। इसलिये ऐसे अन्तिम आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण विचार योग्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–पुर्नविलोकन–0108/2019/टीकमगढ़/भू.रा.

श्यामसुन्दर आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–02–19 5/2/19	आवेदक अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित एवं । उनके द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के प्र0 क्र0 निग0 3033/2018/टीकमगढ़/भू.रा. में पारित आदेश दिनांक 21–06–2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत यह पुर्नविलोकन प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक को ग्रहयता के बिन्दु पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी– 3033/2018/टीकमगढ़/भू.रा. में पारित आदेश दिनांक 21–06–2018 विधि के विरूद्ध एवं प्रत्यक्षदर्शी त्रुटियों से युक्त होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। 3/ आवेदक अभिभाषक का यह भी तर्क है कि प्रश्नगत आदेश पारित करने के पूर्व न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों का अवलोकन किये बिना ही प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा प्रकरण में जो आपत्तियां उठाई गई थी, उन पर भी विचार ही नहीं किया है। 4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में संलग्न आदेश दिनांक 21–06–2018 की	

सत्यापित प्रति का अवलोकन किया गया । न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि–" आयुक्त सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 19–09–2008 से आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी को इस आधार पर निरस्त किया है कि वर्ष 1984 के पूर्व प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक कब्जा प्रमाणित करने में असफल रहा। " चूँकि मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर उपलबध अधिनियम 1984 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 1984 में कब्जा होना आवश्यक होता है। आवेदक पर यह भार होता है कि वह प्रककरण में ठोस आधार अथवा प्रकरण से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण का निराकरण विधिवत किया जा सके एवं आवेदक न्याय से वंचित न हो सके। किन्तु आवेदक द्वारा न तो इस न्यायालय में और न अधीनस्थ न्यायालय में वर्ष 1984 के कब्जा से संबंधित कोई ठोस आधार अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, जिससे की यह साबित किया हो सके कि आवेदक का उक्त भूमि पर वर्ष 1984 में कब्जा था । इसी कारण न्यायालय राजस्व मण्डल ने आयुक्त सागर के आदेश को उचित मानते हुये स्थिर रखा है। 5

5/ इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:–

1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3 कोई अन्य पर्याप्त कारण। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। आवेदक अभिभाषक द्वारा केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–06–2018 स्थिर रखा जाता है।

(आर.के. जैन) 5/2/19
सदस्य